न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 38/2019

श्री जगदीश पुत्र श्री पोखर, जाति जाट, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अरांई जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–08.11.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री जगदीश पुत्र श्री पोखर, जाति जाट, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अरांई जिला अजमेर ने ग्राम झाडोल के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 316, 317 व 318 में से रकबा क्रमशः 8 बिस्वा, 2 बिस्वा व 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 4/2019 पंजीकृत किया जाकर दिनांक 12.06.2019 को आदेश/नोटिस पारित किया गया। उक्त आदेश/नोटिस अनुसार अतिक्रमी को दिनांक 28.06.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश/नोटिस दिनांक 12.06.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट की ग्राम झाडोल में सह खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 110, 211, 441 व 447 रकबा क्रमशः 4 बीघा, 8 बीघा 7 बिस्वा, 11 बीघा 4 बिस्वा एवं 25 बीघा कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा स्थित है जो अधिकार अभिलेख में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा इन्द्राज है। अपीलान्ट एवं उसके भाई अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि पर चौतरफा कांटों की बाड़ लगाकर बाड़ा बनाकर अपने पशुओं के रख रखाव एवं चारा संग्रहण के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा बिना मौके की जांच किये अपीलान्ट व ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों की अनुपस्थिति में केवल अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करवाने के लिये दिनांक 10.06.2019 को नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो मौके की स्थिति से भिन्न है। जबकि समीप में अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी है जिसका सीमाज्ञान किये बिना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

एवं बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अपीलाधीन आदेश/नोटिस जारी कर दिया गया एवं अपील के विचाराधीन रहने के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.07.2019 को अपीलान्ट की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश पारित कर दिये गये, जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। उन्होने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा इस घटना का पटवारी बही में उल्लेख नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शे में हल्का गिरदावर द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गई है।

वकील अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत अतिक्रमण की सूची में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं होने के उपरान्त भी केवल मात्र अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई के विरूद्ध धारा 91 का नोटिस/आदेश जारी किया गया है, किसी भी अन्य अतिक्रमी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट एक सद्भाविक व्यक्ति है एवं अपने अर्जित अधिकारों की सह खातेदारी की आराजी में चौतरफा कांटों की बाड़ लगाकर पशुओं का रख रखाव व चारा डालकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 1995 पार्ट 2 पेज 460 एवं आर0बी0जे0 2004 पेज 83 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर क्रमशः आकर्षित किया कि – **"यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वामित्वधीन आराजी में काबिज व्यक्ति अपने कब्जे बाबत सद्भावना पूर्वक विवाद उठाता है वहां धारा 91 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।"** एवं Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec. 91-When Person in Occupation of Land Raises Bonafide Dispute Provisions of this Sections Cannot be Invoked. साथ ही उन्होने हमारा ध्यान राज्य सरकार के **परिपत्र क्रमांक प06 (39) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003** की ओर भी आकर्षित किया जिसके अनुसार – "चरागाह/सिवायचक भूमि के नियमन के लिये शर्त है कि गत दो वर्षों का कब्जा रेकॉर्ड से प्रमाणित होना चाहिये इसके स्थान पर यदि पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे।" उनका आगे कथन है कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 24/2013 हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 06.01.2014 को निर्णय पारित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में सिवायचक एवं चरागाह भूमि निर्मित पशुओं के बाड़ा के नियमन हेतु नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी का अपीलान्ट की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान करते हुए विधिक कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को जारी किये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.06.2019 एवं तत्पश्चात प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा ग्राम झाडोल स्थित सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कांटों की बाड़ लगाकर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा ग्राम झाडोल स्थित सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कांटों की बाड़ लगाकर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमान्तर्गत नोटिस जारी कर पूर्ण साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा वर्णित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.06.2019 के परिपेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता है कि अपने आदेश की पालना में विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि का कब्जा राज लिया जावे।

आदेश आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.12.12 14:53:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: